

न्यायालय जिला कलक्टर, अजमेर जिला अजमेर

राजस्व अपील संख्या 13/2016

श्री गंगाराम पुत्र जोरा जाति दरोगा निवासी मुण्डोती तहसील किशनगढ
जिला अजमेर।

.....अपीलान्ट्स

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार किशनगढ

..... रेस्पोजेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :- 1. श्री भियांराम चौधरी अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री शुभकरणसिंह चौधरी राजकीय अभिभाषक


आदेश

दिनांक :- 28.02.2017

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम मुण्डोती के खसरा सं० 23 रकबा 311-08-00 बीघा में से रकबा 01-00-00 बीघा भूमि पर नाजायज रूप से बाड लगाकर अतिक्रमण किये जाने की पटवारी हल्का मुण्डोती की रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार किशनगढ द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध भू-राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज कर नोटिस जारी किये गये। अपीलान्ट्स का कथन है कि खसरा नं० 23 चारागाह भूमि पर कभी भी उनका कब्जा नहीं किया एवं ना ही उनको कभी बेदखल किया गया। अपीलान्ट का खसरा नं० 26/2 पर कब्जा काश्त नियत है। अपीलान्ट की पूर्वजों के समय से चली आ रही कब्जा काश्त आराजी पर चारों ओर वर्षों पुरानी मेड व डोल बनी हुई है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई का युक्ति युक्त अवसर दिये बिना, राजनैतिक द्वेषतावश अपीलान्ट्स के विरुद्ध बेदखली का विधि विरुद्ध निर्णय दिनांक 05.8.2015 को पारित कर दिया। रेस्पोजेन्ट के इसी निर्णय से असन्तुष्ट होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोजेन्ट को नोटिस जारी किया गया तथा अधिनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। रेस्पोजेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित आये। तत्पश्चात् पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। उभय पक्ष को सुना गया।

सर्वप्रथम रेस्पोजेन्ट अभिभाषक ने अपीलार्थी की अपील मयाद बाहर होने से मयाद बिन्दु पर ही अपील खारिज योग्य बताई। जवाब में अपीलार्थी अभिभाषक ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मयाद अधिनियम के कथनों को दौहराते हुये कथन किया कि अपीलान्ट की अनुपस्थिति में आदेश पारित किया जिसकी अपीलान्ट को जानकारी नहीं थी। उक्त आदेश की आड में अपीलार्थी के कर्मचारी विवादित भूमि पर आये तब उनके द्वारा आदेश की जानकारी दिये जाने पर तहसील कार्यालय से जानकारी कर नकल हेतु आवेदन कर नकल प्राप्त कर जानकारी दिनांक से अपील अन्दर मयाद प्रस्तुत की गई है। प्रार्थी/अपीलान्ट द्वारा जानकारी बाद अपील प्रस्तुति में कोई लापरवाही नहीं की है, जो विलम्ब हुआ वह सद्भाविक है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर सद्भाविक विलम्ब को क्षमा किया जाकर अपील को गुणावगुण के आधार पर निर्णित फरमावे। हमने इन कथनों पर मनन किया रेकार्ड देखा। न्यायहित में प्रार्थना पत्र धारा 5 मयाद अधिनियम का स्वीकार करते हुये सद्भाविक विलम्ब को



28/02/17
जिला कलक्टर
अजमेर

सदभाविक विलम्ब को कन्डोन किया जाकर अपील गुणावगुण पर निस्तारित करने का निश्चय किया गया। उभय पक्ष की बहस अपील सुनी गई। अपीलान्त अभिभाषक ने बहस दौरान अपील कथनों को दोहराते हुये कथन किया कि ग्राम मुण्डोती के खसरा सं० 23 रकबा 311-08-00 बीघा में से रकबा 01-00-00 बीघा भूमि पर नाजायज रूप से बाड लगाकर अतिक्रमण किये जाने की पटवारी हल्का मुण्डोती की रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार किशनगढ द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध भू-राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज कर नोटिस जारी किये। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्त को बिना सुनवाई का अवसर दिये दिनांक 5.8.2015 को वेदखली एवं शास्ति आरोपित करने के आदेश पारित कर दिये। खसरा नं० 23 चारागाह भूमि पर कभी भी उनका कब्जा नहीं रहा एवं ना ही उनको कभी वेदखल किया गया। खसरा नं० 26 पर वे जागीरी के समय से काबिज खुदकाशत चले आ रहें हैं। खसरा संख्या 26 के एक भाग की अपीलान्त को खातेदारी दे दी आरे दूसरे भाग को चारागाह दर्ज कर दिया। प्रार्थी/अपीलान्त का खसरा नं० 26/2 पर कब्जा काशत नियत है। अपीलान्त की पूर्वजो के समय से चली आ रही कब्जा काशत आराजी पर चारो ओर वर्षो पुरानी मेड व डोल बनी हुई है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्त को सुनवाई का युक्ति युक्त अवसर दिये बिना, राजनैतिक द्वेषतावश अपीलान्तस के विरुद्ध वेदखली का विधि विरुद्ध निर्णय पारित कर दिया। आक्षेपित निर्णय प्राकृतिक न्याय, विवेक एवं सदभाव के सिद्धान्तो के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 05.08.2015 निरस्त फरमाया जावें।

जवाब में राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलान्त की अपील संधारण योग्य नहीं है। धारा 91 की कार्यवाही समरी प्रोसिडिंग है। राजकीय भूमि पर अतिक्रमण होने/पाये जाने पर धारा 91 राज. भू राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाही नियमानुसार अपेक्षित है, उसी के तहत कब्जा अतिक्रमण होने से रिपोर्ट पटवारी के आधार पर प्रकरण दर्ज कर प्रावधानों अनुसार अतिक्रमी को नोटिस जारी किया जाकर साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान कर ही आदेश पारित किया गया है। अतः अपील अपीलान्त अस्वीकार कर खारिज की जावे।

हमने उभय पक्षों की बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया, रेकार्ड पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित भूमि राजस्व रिकार्ड में चारागाह दर्ज है। अपीलार्थी द्वारा ऐसे कोई साक्ष्य सबूत प्रस्तुत नहीं किये गये है जिनके आधार पर अपीलाधीन आदेश अपास्त किया जावें। राजकीय चारागाह भूमि रकबा 01-00-00 बीघा पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण किये जाने पर धारा 91 राज. भू राजस्व अधिनियम के तहत उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्णरूपेण विधि अनुरूप ही की गई है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में कोई कानूनी भूल अथवा विधि विरुद्ध कार्यवाही का उल्लेख नहीं है। इस प्रकार अपीलान्त की अपील को स्वीकार करने का कोई ठोस आधार किसी भी प्रकार से स्पष्ट नहीं होने से अपील अपीलान्त अस्वीकार कर खारिज की जाती है तथा अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.08.

2015 यथावत रखा जाता है।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 28.02.2017 को सरे

सुनाया गया।



(गौरव गोयल)
जिला कलक्टर,
अजमेर